The part will and the standard of the standard

परिवादी द्वारा अधिवक्ता श्री प्रवीण गुप्ता।

अभियुक्त अनाहूत।

प्रकरण अभियुक्त की उप० हेतु नियत है।

लाग 5 अतर्गत क्षेत्राधिकारिता 2015 में उपधारा परिवाद 15.06.15 आधे० (संशोधन) दिनांक 1 प्रस्तुत 142 अनुसार-धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम 1881 इस न्यायालय प्रस्तुत किया गया था। वर्तमान में परकाम्य लिखित (संशोध दिनांक 26.12.2015 को प्रकाशित किया गया एवं दिनांक अधि० की धारा से दर्शित होता है कि किया गया। के अधीन परकाम्य लिखित अधि० की उसके पश्चात् धारा 142 ए जोडी गयी है। जिसके अवलोकन प्रकरण के

3. Amendment of section 142.

inserted, -qns as shall be numbered as sub-section (1) as (1) be i sub-section after In the principal Act, section 142 section (1) thereof and after numbered, the following sub-s namely:-

- into local shall be inquired whose within "(2) The offence under section 138 court by only jurisdiction, tried and
- may for collection through f the bank where the case the is situated; bank as of the course, an account, the branch o payee or holder in due ccbe, maintains the account, if the cheque is delivered
- drawee bank where the otherwise through by payment for if the cheque is presented for payee or holder in due course, an account, the branch of the c account, the

the the branch of the bank in which the payee or holder in then, 10 a cheque is delivered for collection at any branch of the bank of the payee or holder in a been delivered maintains be, the cheque shall be deemed to have may case the as course, account.". que

यदापि व 4 दनाक 24.11. DE 45 18 क्रिक भृतलक्षी पेश 142尺 सुनवाई जिला ग्वालियर प्राईवेट 4 पहले जो परिवाद कारण धारा परिवादी संशोधन 妆 इंगिड्या 45 मामले होगा। इस निर्णय 2015 妆 यह मामले उक्त बिलि अधिकारिता नहीं रह जाती है। न्यायदष्टांत ब्रीजस्टोन 75 45 (संशोधन) द्वितीय अध्यादेश, 15 मावधान के आधार पर प्रस्तुत के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है ता है। ऐसे में इस न्यायालय को लाम 部部 इन्द्रपाल सिंह, (2016) 2 एस.सी.सी. अथित् 15 जून, 2015 क्षेत्राधिकार में आता है। ऐसे में इस न्यायालय संशोधन हुए यह विधि प्रतिपादित । रखता है अथित् 15 जुन, उपरोक्त प्रावधान के आधार या लंबित है उन पर भी यह में परकाम्य लिखत हर्न रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव गोहद न्यायालय अर्थान्वयन करते विकद्ध

-Formisals काश्रीकालक महमायुरील होने के पूर्व प्रस्तुत किया गया था। ऐसे में इस न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता में न होने से उसे संशोधन अधि के द्वारा परकाम्य

क्षेत्राधिकारिता महोद्य के माध्यम किया अतरण मूलता. प्रभाव से क प्रकरण 15 के प्रकाश लिखित अधि में जोड़ी गयी धारा आवश्यक है।

न्यायाधीश सत्र रखने वाले न्यायालय को माना जिला एवं अनुरोध पत्र के माध्यम से वापस भेजा जावे उपरोक्त विवेचन

उनके स्वयं परिवाद से अतः में परतुत कर ने निवेदन किया कि वे गुप्ता मिरवादी अधिवनता श्री

प्रदान किए जावे, पावती दस्तावेज नावे । न्यायालय निवेदन पर मूलतः परिवाद, न्यायशुल्क व मूल आदेश पका पर ली जावे, छायाप्रति संलग्न व दुरतावेज प्राप्त कर मूलतः सक्षम

उनके खम वापस प्राप्त कर द्रत्तावेज नाकि म सलग्न मूल सलग्न करें में सलग्न परिवादी परिवादपत्र आदेश पिका पर ली जावे,

मृत्य परिवादपत्र के प्रथम दस्तावेज मुल जावे 15 संभावना न रहे। साथ ही प्रस्तुत न्यायशुल्क पर सत्यापित छायाप्रति

वाले उपरोक्त क्षेत्राधिकारिता रखने पर मय अंतरण का कारण पृष्ठांकित किया

23.12.16 को उपस्थित रहे जुना महित स्तावेजों सहित जिला कि के न्यायालय में दिनांक 23.12

पत्रावली श्रव दजिकर परिणाम न्यायालय 4 प्रकरण

अभिनेखागार संचित हो।

Gona